न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अंजु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 2010/00002

उनवान

1. श्री लालसिंह पिता बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह जाति राजपुत।
2. श्री जसवन्त सिंह पिता बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह जाति राजपुत।
3. श्री गमीरसिंह पिता बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह जाति राजपुत।
4. श्री हरिसिंह पिता बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह जाति राजपुत।
5. श्री सूर्यसिंह पिता बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह जाति राजपुत।
6. श्री रणजीतसिंह पिता बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह जाति राजपुत।
7. श्री दीपसिंह पिता बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह जाति राजपुत।
8. श्रीमती कमला कुंवर बेवा बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह जाति राजपुत निवासीयान् डडूका तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—ः वादीगण

बनाम

1. श्री सज्जन सिंह पिता नाथु सिंह जाति राजपुत।
2. श्री पंकज सिंह पिता शंभुसिंह जाति राजपुत।
3. श्री प्रवीणसिंह पिता शंभुसिंह जाति राजपुत नाबालिग की माता व वलिया श्रीमती सज्जनकुंवर बेवा श्री शंभुसिंह जाति राजपुत।
4. श्री देवीलाल भट्ट पिता श्री नाथुलाल जाति ब्राम्हण।
5. श्री नयनेशकुमार भट्ट पिता देवीलाल भट्ट जाति ब्राम्हण निवासीयान डडूका तहसील गढी जिला बांसवाडा।
6. तहसीलदार, गढी जिला बांसवाडा।

—ः प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 293.2023

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी संख्या 01 से 07 आपस में सगे भाई है तथा वादीया संख्या 08, वादी संख्या 01 से 07 की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 04 तक वादी संख्या 01 से 07 तक के बाबा के लड़के होकर कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत 442(नई) से 427(पुरानी) का खसरा संख्या 1957 वर्तमान खसरा संख्या 2056 रकबा 9 बिस्वा (0.07हे0) वाके ग्राम डडूका तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है उक्त कृषि भूमि का पट्टा सेटलमेंन्ट डिपार्टमेंन्ट बांसवाडा स्टेट संवत 2002 में मुताबिक वादीगण के पिता व पति स्व श्री बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह पिता लालसिंह राजपुत निवासी ग्राम डडूका तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) के नाम से दर्ज है तथा उक्त कृषि भूमि स्व.श्री बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह के स्वअर्जित स्वामित्व व आधिपत्य की है श्री बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह के स्वर्गवास के बाद से वादीगण उक्त कृषि भूमि पर [illegible] चले आ रहे है श्री बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह का देहान्त हो चुका हैं। प्रतिवादीगण अथवा अन्य [illegible] कृषि भूमि पर कोई हक, कबजा व अधिकारी नहीं है। माह अप्रेल वर्ष 2002 में वादी[illegible] को [illegible] कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित नकलो की आवश्यक[illegible] वादीगण को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के [illegible] पिता लालसिंह ने राज्य [illegible] से मिल कर अवैद्य रूप से उक्त कृषि भूमि में अपना [illegible] वादीगण के पिता स्वर्गीय [illegible]सिंह उर्फ बसन्तसिंह के साथ रेवेन्यू रिकार्ड आफ राईट्स [illegible] दर्ज करवा लिया है श्री [illegible] का स्वर्गवास हो चुका है श्री नाथुसिंह का उक्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार से कोई हक, कब्जा व अधिकार कभी नहीं रहा है श्री नाथुसिंह के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी संख्या 01 श्री सज्जनसिंह

उपखण्ड अधिकारी
गढी जिला बाँसवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:38:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

ने अवैद्य रूप से उक्त कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है। इसके पश्चात गत माह जुलाई सन् 2001 में श्री शंभुसिंह का स्वर्गवास हो गया तो प्रतिवादी संख्या 02 से 04 तक ने अवैद्य रूप से उक्त कृषि भूमि में अपने नाम दर्ज करवा ली है जो कि विधि विरूद्ध है जिसे राजस्व रेकार्ड से हटाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 05 व 06 ने उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 2056 के दक्षिण दिशा तरफ पूर्व से पश्चिम करीब 30 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 50 फीट भूमि पर पक्की ईंटो की दीवाल बनाने के लिए दिनांक 12.6.2002 मौके पर ईट व पत्थर डाल दिये एवं करीब 15–20 मजदुर लगा कर प्रतिवादी संख्या 05 व 06 ने पक्की ईंटो करीब 12 फीट उँची दिवार बना ली है एवं मौके पर रोजाना तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादी संख्या 05 व 06 नहीं मान रहे है और झगड़ा करने को आमाद हो रहे है। प्रतिवादी संख्या 05 व 06 निरन्तर उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 2056 के दक्षिण दिशा तरफ पूर्व से पश्चिम करीब 30 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 50 फीट भूमि में वादीगण के शांन्ति पूर्वक स्वामित्व व आधिपत्य में रूकावट व बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा झगडा फसाद करने को आमाद हो रहे है। प्रतिवादी संख्या 05 व 06 कृषि की भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर विधि विरूद्ध निर्माण कार्य कर रहे है। जिससे वादीगण को ऐसी क्षति पहुंचने की संभावना है जिस की पूर्ति आर्थिक रूप से नहीं की जा सकेगी। प्रतिवादी संख्या 05 व 06 को उक्त अवैद्य निर्माण कार्य करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 05 व 06 को वादीगण की उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य करने में रूकावट करने तथा जबरन नाजायज अतिक्रमण कर अवैद्य रूप से भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य करने का वैद्य हक व अधिकार नहीं है इसलिए प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण की उक्त कृषि भूमि पर भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य न तो करे ना ही किसी से करावे। कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर किये गये निर्माण कार्य व वाद की कार्यवाही के दौरान भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य प्रतिवादी संख्या 05 व 06 कर लेवे तो उसे ध्वस्त करवाया जावे एवं अतिक्रमण हटाया जावे। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का नाम उक्त खसरा संख्या 1957 वर्तमान खसरा संख्या 2056 रकबा 9 बिस्वा (0.07हे0) के रेवेन्यू ऑफ राईट्स में से हटाया जावे तथा वादीगण को उक्त कृषि भूमि का एक मात्र खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा दी जावे कि प्रतिवादीगण वाद चरण संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर निर्माण कार्य या भवन निर्माण या अन्य कोई निर्माण कार्य न तो करे ना ही किसी से करावे तथा वादीगण को उक्त कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज रह कर उपयोग व उपभोग करने देवे तथा किसी भी प्रकार से कोई बाधा न तो उत्पन्न करे ना ही किसी से करावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा दी जाना न्यायहित में आवश्यक है अन्यथा प्रतिवादीगण किसी भी समय मौका पाकर उक्त वर्णित कृषि भूमि के वैद्य हक, कब्जे, अधिकार, उपयोग व उपभोग से वादी को वंचित कर देवेंगे। जिससे वादीगण को ऐसी अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति धन से करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगा। और वादीगण को एक से अनेक कार्यवाही करनी पड़ेगी जिसमें धन व समय का अपव्यय होगा। वाद का व्यवहार कारण माह अप्रेल सन् 2002 में एव इसके पश्चात 12.6.2002 एवं प्रति दिन प्रतिवादी संख्या 05 व 06 द्वारा अवैद्य निर्माण कार्य करने से एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का नाम अवैद्य रूप से खाते में दर्ज होने की जानकारी होने से माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है वादग्रस्त कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीण इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में रहते है। इसलिए वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का है वाद चरण संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि के खसरा संख्या 1957 वर्तमान खसरा संख्या 2056 रकबा 9 बिस्वा (0.07हे0) वाके ग्राम डडूका तहसील गढी जिला बांसवाडा के रेवेन्यू रिकार्ड ऑफ राईट्स में से प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का नाम हटाया जावे एवं वादीगण को उक्त कृषि भूमि का एक मात्र खातेदार घोषित किया जावे । इस आशय की डिक्री प्रतिवादी संख्या 01 से 04 तक के विरूद्ध [illegible] दी जावे। प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] की [illegible] कि वादीगण की वाद ग्रस्त कृषि भूमि पर निर्माण कार्य या भवन निर्माण न तो करे ना ही [illegible] से करावे। प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर किये गये निर्माण [illegible] व वाद की कार्यवाही के दौरान किये गये भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य को ध्वस्त [illegible] जावे एवं अतिक्रमण हटाया जावे व कब्जा दिलाया जावे। इस आशय की डिक्री वादीगण [illegible] पक्ष में प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के विरूद्ध पारित की जावें। प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद चरण संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 1957 वर्तमान खसरा संख्या 2056 पर नाजायज अतिक्रमण करने न आवे एवं वादीगण को उक्त कृषि भूमि एवं शान्ति पूर्वक काबिज होकर उपयोग व उपभोग करने देवे एवं किसी भी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:38:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

से कोई बाधा व रूकावट न तो उत्पन्न करे ना ही किसी से करावे इस आशय की डिक्री जारी कराने वाद–पत्र प्रस्तुत हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये जो बाद तामील प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की ओर से श्री सुर्यकिरण तथा प्रतिवादी संख्या 05 व 06 की ओर से श्री राजकुमार अभिभाषकगण के वकालतनामें पेश होकर प्रतिवादी संख्या 05 व 06 का जवाव पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही होने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण में निम्नानुसा तनकियात् कायम की गई:–

1. आया कृषि भूमि जमाबन्दी सं. 442 नई 427 पुरानी का खसरा नं. 1957 वर्तमान खसरा 2056 रकबा 09 विस्वा (0.07 हे0) वाके ग्राम डडूका में स्थित होकर उक्त कृषि भूमि पट्टा सेटलमेंट डिपार्टमेंट बांसवाड़ा स्टेट संवत 2002 में वादीगण के पिता व पति स्व. श्री वसन्तसिंह उर्फ बसन्तसिंह के स्वर्जित स्वामित्व व आधिपत्य की है एवं वादीगण के पिता व पति वसन्तसिंह उर्फ बसन्तसिंह की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि पर वादीगण मालिक व काबिज चले आ रहे है।

–: वादीगण

2. आया माह अप्रेल 2002 में वादीगण द्वारा वाग्रस्त भूमि की नकल लेने से ज्ञात हुआ कि उक्त खाते व सर्वे नम्बर की भूमि को प्रतिवादीगण सं. 1 से लगातार 4 के पिता स्व. नाथुसिंह ने अपना नाम अवैध रूप से वादीगण के पिता श्री वसन्तसिंह उर्फ बसन्तसिंह के साथ रेवेन्यु रेकॉर्ड आफ राईट्स में दर्ज करवा लिया है एवं नाथुसिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण श्री सज्जनसिंह ने अवैध रूप से अपने नाम दर्ज करा दिया है एवं श्री शम्भुसिंह की मृत्यु के बाद प्रति. सं. 2 से 4 तक ने अवैध रूप से अपना नाम दर्ज कराया है जो विधिविरुद्ध होने से हटाये जाने योग्य है।

–: वादीगण

3. आया प्रतिवादी न. 5 व 6 के उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2056 में दक्षिण दिशा सडक पूर्व से पश्चिम 30 फीट व उत्तर दक्षिण 20 फीट पर ईटों की दिवार बनाने के लिए दिनांक 12.06.2002 को अवैध रूप से नाजायज अतिक्रमण कर नींव खोदना शुरू कर दिया है। जिसे कानून रोकना आवश्यकता है एवं प्रतिवादी 5 व 6 से विधि विरुद्ध उक्त भूमि को कृषि भूमि, अकृषि भूमि में परिवर्तन किया है।

–: वादीगण

4. आया प्रतिवादी 5 व 6 को उक्त वादग्रस्त भूमि अवैध निर्माण कार्य नहीं करें व वादीगण को वादग्रस्त खेतों में शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें न किसी अन्य से कराये इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से रोके जाने से वादीगण अधिकारी है।

–: वादीगण

5. आया प्रतिवादीगण 5 व 6 वाद की कार्यवाही के दौरान भवन निर्माण या अन्य निर्माण कर लेवे तो उसे ध्वस्त करवाया जावे।

–: वादीगण

6. आया प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 तक का नाम उक्त खाते के खसरा नं. 1957 के वर्तमान खसरा नंबर 2056 रकबा 09 विस्वा (0–07 हे0) के रेवेन्यु रिकॉर्ड आफ राईट्स से हटाया जाकर वादीगण को उक्त कृषि भूमि का एक मात्र खातेदार घोषित किया जावें।

–: वादीगण

1. आया वाद पत्र ध्वस्त आदेश 6 नियम 14 सी.पी.सी. के अनुसार पक्षकारों के दावों पर हस्ताक्षर नहीं होने से एवं अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं होने से वाद काबिल खारीज है।

–: प्रतिवादीगण

2. आया विवाद ग्रस्त भूमि पर नाथुलाल द्वारा निर्माण कार्य [illegible] है ऐसी अवस्था में नाथुलाल दावे का अवश्यक पक्षकार है अतः नाथुलाल [illegible] पक्षकार नहीं [illegible] से [illegible] ऑफ पार्टीज का नुथ्स होने से दावा काबिल खारीज है।

–: प्रतिवादीगण

3. आया वादीगण ने प्रतिवादीगण 3 व 4 नाबालिक के विरुद्ध वाद [illegible] किया है जिससे आदेश 32 नियम 3 सी.पी.सी. की पालना नहीं होने से वाद काबिल खारीज है।

–: प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:38:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned by CamScanner

4. आया वादग्रस्त भूमि स्व. बरान्तसिंह की स्वर्जित आय से होकर संयुक्त हिन्दू परिवार की खातेदारी की भूमि होने स्व. नाथुसिंह के नाम दर्ज होने से प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 का वाद स्व. खातेदार में दर्ज हुआ है।

—: प्रतिवादीगण

5. आया प्रतिवादीगण 1 से 4 सहखातेदार होने से उक्त भूमि में से नाथुलाल पिता हरिशंकर ब्राह्मण को ग्राम पंचायत डडूका द्वारा 1997 में 24 फीट बाय 51 फीट का पट्टा देने से काबिज है एवं उक्त भूमि पर प्रतिवादी 5 व 6 से सन् 1981 से बाउण्ड्री वाल स्वीकृति से बनाई है एवं 47 वर्षों से प्रतिवादी 5 व 6 काबिज है।

—: प्रतिवादीगण

6. आया प्रतिवादीगण नं. 5 व 6 ने सन् 1957 में पंचायत डडूका से 68 रु. में उक्त जमीन खरीदी है। 800/— रुपयों में नाथुसिंह व बरान्तसिंह ने पंचायत से उक्त भूमि के एवज में प्राप्त किया है।

—: प्रतिवादीगण

प्रकरण में वादी की साक्ष्य के रूप में श्री हरीसिंह पिता वसन्तसिंह उर्फ बसन्तसिंह, श्री भोगजी पिता हुका पटेल तथा प्रतिवादी की साक्ष्य के रूप में श्री देवीलाल पिता नाथुलाल भट्ट के शपथ—पत्र पेश होकर गवाहान् से बकुलाय द्वारा जिरह की गई। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की जाने पर बकुलाय की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन् करने एंव पत्रावली में प्रस्तुत वाद, राजस्व अभिलेख तथा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ—पत्र आदि का संक्षिप्त अवलोकन किया जाकर निम्नानुसार तनकिवार निर्णय पारित किया जाता है:—

<u>वादीगण की तनकियात्</u>

तनकी संख्या 01:— उक्त तनकी को सिद्व करने का भार पूर्णतया वादीगण पर था। वादीगण ने इसे सिद्ध करने के लिये बांसवाड़ा स्टेट द्वारा जारी पट्टा संवत 2002 जिस पर प्रदर्श—पी.8 अंकन है, साथ ही प्रदर्श—पी.10 पर खतौनी सेटलमेंन्ट डिपार्टमेंन्ट सन् 1945—46 में भी सर्वे नम्बर 1957 जिसमें बसनसिंह वल्द लालसिंह का नाम दर्ज है। लेकिन वादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहें कि सवंत 2033—2036 जिसे प्रदर्श—पी.3 दर्शाया गया है, तथा संवत 2055 से 2058 जिसे प्रदर्श पी.2 दर्शाया गया है, उक्त दो राजस्व दस्तावेजों में बसन्तसिंह, नाथूसिंह पिता लालसिंह का सयुंक्त नाम दर्ज है, कैसे लालसिंह के दोनों पुत्रों के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज हुई? जब संवत 2033 से 2036 में संयुक्त नाम आया तब तत्कालीन तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अपना उज्र दर्ज क्यों नही करवाया?

साथ ही एक ओर दस्तावेज जिसे ''बैनामा आबादी भूमि'' जिसमें नाथूसिंह व बसन्तसिंह पिता लालसिंह ने संयुक्त रूप से सर्वे नम्बर 1957 रकबा 9 बिस्वा में से से 24X51 फीट भूमि प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के पिता श्री नाथूलाल को 68/— रूपये में दिनांक 25.3.1984 को बैचान किया जाना अंकित है। जो यह दर्शाता हैं कि सर्वे नम्बर 1957 पर तत्कालीन समय पर नाथूसिंह व बसन्तसिंह की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी।

अतः यह तथ्य सही हैं कि संवत् 2002 में बांसवाड़ा स्टेट द्वारा पट्टा वादीगण के पिता के नाम जारी हुआ, लेकिन स्वतन्त्रता के पश्चात् दोनों भाईयों का नाम संयुक्त रूप से अंकन हुआ तथा बाद के बैचान नामें में भी दोनों की सहमति रही है। अतः उक्त तनकी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में जाती है। तथा बाद के राजस्व दस्तावेजों में हुऐ अंकन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति दर्ज नही करवाई गयी यह वादीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि के संम्बनघ में मूक सहमति को दर्शाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:38:57 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 02:— उक्त तनकी को सिद्व करने का भार [illegible]गण पर था। प्रकरण में प्रदर्श पी.1 जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 [illegible] से 2036 में वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता के नाम [illegible] प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के पिता नाथुसिंह के फोत होने के पश्चात् नियमानुसार प्रतिव[illegible] संख्या 02 से 04 का नाम दर्ज रिकार्ड है। तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा विधिवत् जांच पश्चात् ही नामान्तरकरण संख्या 590 दिनांक 15.12.2001 दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरकरण्र क्यों दर्ज हुआ तथा उसका अमल'दरामद तत्कालीन जमाबन्दी संवत 2055 से 2058 में क्यों किया गया इस सम्बन्ध में

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा कोई सन्तोषप्रद कारण नही बताये जाने के कारण उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03:— उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। पत्रावली में प्रस्तुत ''बैनामा आबादी भूमि'' से स्पष्ट होंता हैं कि वाद—पत्र में वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजो यथा नाथूसिंह व बसनसिंह द्वारा सर्वे नम्बर 1957 रकबा 09 बिस्वा में से 24X51 फीट भूमि प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के पिता श्री नाथूलाल को 68/— रूपये में दिनांक 25.3.1984 को विकय की जाने पर ग्राम पंचायत डडूका की तामीर स्वीकृति पत्रावली संख्या 58 दिनांक 13.12.2001 के कम में दिनांक 03.6.2002 को प्रतिवादी संख्या 05 के नाम तामीर स्वीकृति जारी की गई है। जिससे यह स्पष्ट हो रहा हैं कि वादग्रस्त भूमि तत्समय प्रतिवादी संख्या 05 व 06 की होकर ग्राम पंचायत डडूका द्वारा विधिवत् तामीर स्वीकृति जारी की गई है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04:— उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। तनकि संख्या 03 में उल्लेखित तथ्य तनकी संख्या 04 की व्याख्या करतें है।पुनरावृत्ति ना हो इस कारण पृथक से कोई नया तथ्य अंकित नही किया गया है। वादीगण अपने पक्ष में उक्त तनकी सिद्ध करवानें में असफल रहें।

तनकी संख्या 05:— उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। तनकि संख्या 03 व 04 में वर्णित तथ्य ही तनकी संख्या 05 को सिद्ध कर रहें है। वादीगण के द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है जो न्यायालय को उचित प्रतीत नही होंती है।

तनकी संख्या 06:— उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। तनकि संख्या 03 व 04 व 05 में वर्णित तथ्य ही उक्त तनकी को सिद्व कर रहें हैं। पृथक से उक्त तनकी को सद्धि करने की कोई आवश्यकता नही है। अतः स्वतः ही उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व जाती है।

<u>प्रतिवादीगण की तनकियात्</u>

तनकी संख्या 01:— उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। परन्तु वाद दर्ज हुए करिब 20 वर्ष से अधिक का समय गुजर जाने से उक्त तनकी न्यायहित में वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02:— उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। तथा वाद—पत्र में नाथूलाल के वारिसान् को पक्षकार बनाया गया है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03:— उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। परन्तु वाद दर्ज हुए करिब 20 वर्ष से अधिक का समय गुजर जाने से उक्त तनकी न्यायहित में वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04:— उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रकरण में प्रदर्श पी.1, तथा प्रदर्श पी.2, प्रदर्श पी.3 प्रस्तुत किये हैं जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है। अतः उक्त तनकी को सिद्ध करने की आवश्यकता नही है।

तनकी संख्या 05:— उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। पत्रावली में प्रस्तुत ''बैनामा आबादी भूमि'' से स्पष्ट होंता हैं कि वाद—पत्र में वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजो यथा नाथूसिंह व बसनसिंह द्वारा सर्वे नम्बर [illegible] 09 बिस्वा में से 24X51 फीट भूमि प्रतिवादी संख्या 0५ व 05 के पिता श्री नाथूला[illegible] को 6[illegible] रूपये में दिनांक 25.3.1984 को विकय की जाने पर ग्राम पंचा[illegible] पत्रावली संख्या 58 दिनांक 13.12.2001 के कम में दिनांक 03.6.[illegible] के नाम तामीर स्वीकृति जारी की गई है। जिससे यह स्पष्ट हो रहा हैं कि वादग्रस्त भूमि त[illegible]य प्रतिवादी संख्या 0५ व 0६ की होकर ग्राम पंचायत डडूका द्वारा विधिवत् तामीर स्वीकृति जारी की गई है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 0५ व 0६ के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:38:57 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned by CamScanner

तनकी संख्या 06:— उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण की तनकी संख्या 05 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाने से उक्त तनकी भी प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

प्रकरण में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद, अभिलेख तथा प्रतिवादी संख्या 05 व 06 की ओर से प्रस्तुत जवाब, अभिलेख का संक्षिप्त अवलोकन एंव बकुलाय की बहस पर मनन तथा वादीगण व प्रतिवादीगण की निर्णित तनकियात के परिप्रेक्ष्य एंव साक्ष्य अधिनियम की धारा 05 के प्रावधानों का सन्दर्भ लेतें हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा हैं कि वाद–पत्र में वर्णित पटवार हल्का डडूका के मौजा डडूका की जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 की खाता संख्या 188 (नई) के सर्वे नम्बर 1957 रकबा 9 बिस्वा जो जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 722 (नया) 623 (पुराना) में दर्ज सर्वे नम्बर 2056 रकबा 0.07 हे0 भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड हैं। पट्टा सेटलमेंन्ट डिपार्टमेंन्ट बांसवाड़ा स्टेट सवंत 2002 द्वारा तत्समय के सर्वे नम्बर 1957 रकबा 9 बिस्वा भूमि का पट्टा वादीगण के पिता के नाम जारी किया गया था। बांसवाड़ा जिलें की जमाबन्दी लेखन का कार्य संवत 2025 से प्रारम्भ हुआ था। तथा जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 में वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता का नाम संयुक्त रूप से दर्ज हुआ। वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 के पिता द्वारा संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि में से 24X51 फीट भूमि प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के पिता श्री नाथूलाल को 68/– रूपये में दिनांक 25.3.1984 को विक्रय की जाने पर ग्राम पंचायत डडूका की तामीर स्वीकृति पत्रावली संख्या 58 दिनांक 13.12.2001 के कम में दिनांक 03.6.2002 को प्रतिवादी संख्या 05 के नाम तामीर स्वीकृति जारी की गई है। जिससे यह स्पष्ट हो रहा हैं कि वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की पैतृक भूमि थी। जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 (30 वर्ष) से अधिक का पुराना दस्तावेंज जैसा हैं वैसा ही स्वीकार किये जाने के प्रावधान होने से इस पर प्रश्नचिन्ह् लगाया जाना उचित प्रतीत नही होता हैं।

अतः पटवार हल्का डडूका के मौजा डडूका की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 722 (नया) 623 (पुराना) में दर्ज सर्वे नम्बर 2056 रकबा 0.07 हे0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण को 1/2, 1/2 हिस्सा स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रतिवादी संख्या ०५ व ०६ को बैचान की गई भूमि अर्थात 0.01 हे0 भूमि का प्रतिवादी संख्या ०५ व ०६ को संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है। जो वादीगण व प्रतिवादीगण के मूल हिस्से में से समान रूप से कम होगा। इस आशय का निर्णय जारी किया जाता है।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

आदेश

पटवार हल्का डडूका के मौजा डडूका की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 722 (नया) 623 (पुराना) में दर्ज सर्वे नम्बर 2056 रकबा 0.07 हे0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण को 1/2, 1/2 हिस्सा स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रतिवादी संख्या ०५ व ०६ को बैचान की गई भूमि अर्थात 0.01 हे0 भूमि का प्रतिवादी संख्या ०५ व ०६ को संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है। जो वादीगण व प्रतिवादीगण के मूल हिस्से में से समान रूप से कम होगा। इस आशय का निर्णय जारी किया जाकर डिक्री भी पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.3.2023 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:38:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 2010/00002

उनवान

1. श्री लालसिंह पिता बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह जाति राजपुत।
2. श्री जसवन्त सिंह पिता बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह जाति राजपुत।
3. श्री गमीरसिंह पिता बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह जाति राजपुत।
4. श्री हरिसिंह पिता बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह जाति राजपुत।
5. श्री सूर्यसिंह पिता बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह जाति राजपुत।
6. श्री रणजीतसिंह पिता बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह जाति राजपुत।
7. श्री दीपसिंह पिता बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह जाति राजपुत।
8. श्रीमती कमला कुंवर बेवा बसनसिंह उर्फ बसन्तसिंह जाति राजपुत निवासीयान् डडूका तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

1. श्री सज्जन सिंह पिता नाथु सिंह जाति राजपुत।
2. श्री पंकज सिंह पिता शंभुसिंह जाति राजपुत।
3. श्री प्रवीणसिंह पिता शंभुसिंह जाति राजपुत नाबालिग की माता व वलिया श्रीमती सज्जनकुंवर बेवा श्री शंभुसिंह जाति राजपुत।
4. श्री देवीलाल भट्ट पिता श्री नाथुलाल जाति ब्राम्हण।
5. श्री नयनेशकुमार भट्ट पिता देवीलाल भट्ट जाति ब्राम्हण निवासीयान डडूका तहसील गढी जिला बांसवाडा।
6. तहसीलदार, गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 29.3.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि पटवार हल्का डडूका के मौजा डडूका की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 722 (नया) 623 (पुराना) में दर्ज सर्वे नम्बर 2056 रकबा 0.07 हे0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण को 1/2, 1/2 हिस्सा स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रतिवादी संख्या 04 व 05 को बैचान की गई भूमि अर्थात 0.01 हे0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 व 05 को संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है। जो वादीगण व प्रतिवादीगण के मूल हिस्से में से समान रूप से कम होगा। इस आशय का निर्णय जारी किया जाकर डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 29.3.2023 को जारी की गई।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनताना[illegible]	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा ग[illegible]	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	[illegible]	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय [illegible]	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:38:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned by CamScanner